स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका

सूचना प्राप्त करने का अधिकार और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य इस संबंध में कानून लगभग स्थापित हो चूका है। किंतु प्रेस को सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस सीमा तक है, यह अभी भी थोड़ा विवाद का विषय है। इस संबंध में एक कानून बना 'राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट'(Right to Information Act) और वह लागू हो पाए इससे पहले ही उसे चुनौती भी दे दी गई। इस अधिकार का विस्तार जितना कानून में लिखा है उससे भी वृहद होना चाहिए ऐसी याचिकाएं भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आईं और इसके पहले कि कोई निर्णय हो पाता, लोकसभा (Parliament) ने एक और नया कानून इस संबंध में पास कर दिया है जो भी अभी लागू होना बाकी है। यह प्रकरण इन दिनों न्यायालय में विचाराधीन है।

एक बात की और मैं आपको संकेत करना चाहता हूं। न्यायपालिका ने अपने कर्तव्य का पालन किया। यह सुनिश्चित किया कि प्रेस को अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य होना चाहिए। न्यायापालिका ने अपने निर्णयों के माध्यम से यह अधिकार न्यायपालिका ने प्रेस को दिया है। अब बारी प्रेस की है। जैसे कहा जाता है कि 'बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द प्रेस'(Ball is in the court of the press) यह किस अर्थ में? जिस न्यायपालिका ने आपको अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य दिया और उसका इतना विस्तार किया कि प्रेस के काम में आने वाला कागज भी यदि महंगा हो गया और अखबार की कीमत बढ़ानी पड़ी तो हो सकता है कि नागरिकों को अख़बार सूलभ न हो पाए। इसलिए यदि अख़बार के कागज पर कोई ड्यूटी लगाई जाती है तो न्यायालय, संवैधानिक कसौटी पर इस ड्यूटी की संवैधानिकता का परीक्षण करते समय एक अधिक 'रेलेवेंट फैक्टर', एक प्रासंगिक घटक के रूप में यह भी विचार में लेता है कि इसका प्रभाव अखबार की कीमत पर और अखबार के प्रकाशन पर कैसा पडेगा? क्या अखबार महंगा हो जाने से प्रेस की अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य और नागरिकों के जानकारी प्राप्त करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? और यदि उत्तर सकारात्मक हो तो ड्यूटी असंवैधानिक मानकर निरस्त की जा सकती है।

उच्चत्तम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के उपरान्त श्री रमेशचन्द्र लाहोटी के इन्दोर प्रवास में, प्रेस परिषद् इन्दोर ने अनायास ही उन्हें अपने बीच आने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर राष्ट्र और समाज के सृजन में प्रेस की भूमिका से संबंधित कुछ विचार श्री लाहोटी ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में व्यक्त किए। परन्तु प्रेस न्यायपालिका और न्यायाधीशों के विरूद्ध लिखता है, खूब लिखता है। किन्तु फिर भी न्यायपालिका कभी—कभी तो भी यह सोचती है और मानती है कि यदि आप हमारे ख़िलाफ भी लिखते हैं तो लिखिए किन्तु हम आपके लिखने के अधिकार की रक्षा करेंगे। यह न्यायपालिका का दृष्टिकोण हमेशा रहा है। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं —क्या संवैधानिक प्रजातंत्र के चौथे सजग प्रहरी होने के नाते आप न्यायपालिका के प्रति अपने उत्तरदायित्व के संबंध में कभी चिंतन या चर्चा करते हैं? यह प्रश्न पूछने के लिए कुछ कारण हैं।

मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली 'पोलिटिकली सेंसिटिव' (politically sensitvie) जगह है। राजधानी तो है ही, राजनीती का गढ़ भी है। वहां कुछ अख़बार, निरंतर न्यायपालिका के विरूद्ध लिखते हैं। कभी-कभी कुछ बातें अखबारों में केवल इसलिए छापी जाती है कि वे चटपटी या मसालेदार होती हैं। एक रोचक दृष्टांत देता हूं। इस देश के न्यायाधीश बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रहे हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होने के नाते मुझे न्यायायिक निर्णय के साथ प्रशासनिक निर्णय भी लेने पड़ते हैं, हमारे कुछ निर्णयों के संबंध में कुछ अख़बार (मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता) तीखी आलोचना करते हैं. विशेषकर प्रशासनिक निर्णयों की। ऐसा वे केवल इसलिए करते हैं कि उससे अख़बार में कुछ चटपटापन आ जाता है और अख़बार बिकता है। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में मैंने प्रेस के महानुभावों से पूछा कि आप लोग नकारात्मक बातें क्यों लिखते हो और खास तौर पर तब जब उसमें असत्य का समावेश भी होता है। उन्होंने मुस्कराकर जवाब दिया कि हम न्यायपालिका के बारे में कुछ अच्छा लिखेंगे तो उससे हमारा क्या भला होने वाला है? यदि कोई जज ईमानदार है और उसने अच्छा काम किया, यह हमने अखबार में छापा तो इससे अखबार बिकता नहीं है। कोई जज ईमानदार नहीं है, उसने भ्रष्टाचार किया है, किसी जज ने जो निर्णय किया वह सही नहीं है, उसमें त्रुटियां हैं, यह छापते हैं तो हमारा अखबार हाथों–हाथ बिकता है। इसलिए हम छापते हैं। यदि यह दृष्टिकोण स्वस्थ है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यदि आप सोचते हैं और मानते हैं कि इस दृष्टिकोण में कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है तो इस पर विचार कीजिए।

मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप प्रशंसा ही कीजिए। मैं आपसे यह भी नहीं कहता कि आप स्वस्थ आलोचना मत कीजिए। प्रत्येक न्यायाधीश भी एक इंसान होता है, ग़लती कर सकता है। न्यायपालिका एक संस्था है। संस्था भी ग़लती कर सकती है। यदि आप ऑब्जेक्टिविटी(Objectivity) के साथ किटिसिज़्म(Criticism) करते हुए किसी त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं तो हम आपके आभारी हैं। क्योंकि किसी को भी अपनी ग़लती का स्वयं से अहसास नहीं हो पाता। आप यदि

हमारी ग़लती हमें बताएंगे तो हमें आगे सुधरने का मौक़ा मिलेगा। इसे कहते हैं 'किटिसिज़्म विथ आब्जेक्टिविटी'(criticism with objetivity)। विषयपरक आलोचना कीजिए, वस्तुपूरक आलोचना कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत आलोचना मत कीजिए।

एक और बात जो महत्त्वपूर्ण है, जिस पर अधिक गंभीरता से विचार करने की जरूरत है वह है, ट्रायल बाय मीडिया(Trail by Media)। जब कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होता है उस समय आपकी ट्रायल(Trial) अलग शुरू हो जाती है। आप रोज़ लिखने लगते हैं। कि इस गवाह ने सही बयान दिया, इस गवाह ने ग़लत बयान दिया, वास्तविकता तो ऐसी है। यह ट्रायल बाय मीडिया(Trial by Media) न्यायदान की प्रक्रिया को प्रीज्यूडिस करती है, निष्पक्ष न्याय पर आघात करती है। इसलिए कोई प्रकरण जब न्यायालय में विचाराधीन हो तो उसके तथ्य आप प्रकाशित कीजिए। जनसाधारण की जानकारी में लाइए। किन्तु उसके साथ अपना मत और अभिमत व्यक्त मत कीजिए। यह प्रयास मत कीजिए कि हम एक वातावरण किसी व्यक्ति के पक्ष में या किसी व्यक्ति के प्रतिकूल निर्मित कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए जब कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो आपको अपनी सीमा की अनुभूति करना चाहिए और सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए।

अब एक बात और, एक अन्य नज़िरए से, आपके सामने रख रहा हूं। आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी घटना का प्रकाशन करें तो उसके संबंध में तथ्यों की थोड़ी जांच कर लें। कई बार यह होता है कि एक अख़बार में कोई समाचार प्रकाशित हुआ। दूसरा समझता है कि यह तो महत्त्वपूर्ण समाचार है, वह भी उसे प्रकाशित कर देता है। प्रकाशित करने के पहले थोड़ा बहुत फैक्चुअल वेरिफ़िकेशन(Factual Verification) कर लेना चाहिए। हम लोग यानि कि न्यायाधीश, किसी को सुनवाई का मौका दिए बग़ैर कोई निर्णय नहीं लेते, लेकिन आपके सारे निर्णय बिना किसी सुनवाई का मौका दिए बग़ैर होते हैं। रात को ग्यारह—बारह बजे ख़बर लगी और सुबह छः बजे अख़बार उस ख़बर के साथ हाथ में होता है। वास्तविकता क्या है, आप जो लिख देते हैं वही लोगों की धारणा बन जाती है और जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है उसे सफ़ाई देने या अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं मिल पाता।

एक छोटी सी कहानी है। एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था और उसका एक शिष्य। गुरू ने शिष्य को चित्र बनाना सिखाया। शिष्य अच्छे चित्र बनाने लगा। उसे लगने लगा कि मैं बहुत अच्छे चित्र बनाने लगा हूं। मैं भी एक बड़ा चित्रकार हूं। एक दिन उसने अपने गुरू से कहा कि मैं बहुत अच्छे चित्र बनाता हूं, लेकिन आपने कभी मेरी प्रशंसा नहीं की तो मुझे कभी—कभी दुःख होता है। गुरू ने कहा कि तुम्हारा

कौन सा सबसे अच्छा चित्र है, ले आओ। वह ले आया। गुरू ने कहा कि इस चित्र को शहर के चौराहे पर रख आओ और लिख देना वहां कि इस चित्र में कोई त्रुटि है तो उसकी और संकेत कीजिए। सुबह वह चित्र चौराहे पर रख आया। शाम को उठाने गया तो पूरा चित्र निशानों से भरा हुआ था। असल चित्र क्या था वह तो पता ही नहीं चल रहा था। रास्ते से निकल रहे हर व्यक्ति ने चित्र पर निशान लगा दिया था कि यहां ग़लती है...यहां ग़लती है...यहां ग़लती है। शाम को शिष्य चित्र उठाने गया। बड़ा दुःखी हुआ। गुरू ने कहा कि तुम तो कहते हो कि तुम्हारे बनाये चित्र की प्रशंसा करनी चाहिए पर देखो इस चित्र में कितनी त्रुटियां हैं। ख़ैर, तुमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक चित्र और लेकर आओ। उसी स्थान पर रखो और उसके साथ यह लिखो कि यदि इस चित्र में कोई त्रुटि है तो कृपया उसे दूर कर दीजिए। शिष्य ने वैसा ही किया। शाम को चित्र उठाने गया तो देखा कि वह चित्र वैसा का वैसा रखा हुआ था, किसी ने उसे छुआ भी न था।

सबसे सरल काम यदि कोई है तो आलोचना करना, किन्तु सकारात्मक दिशा देना बहुत कठिन काम है। अब निर्णय आपको लेना है कि केवल त्रुटि बताना है, केवल निशान लगाना है या कोई सुधार करके स्वस्थ दिशा का संकेत भी करना है। यदि चित्र में कोई त्रुटि है तो केवल आलोचना करना है या इसमें सुधार का कोई सकारात्मक सुझाव भी देना है। आपकी भूमिका क्या है, यह निर्णय आपको करना है। आप सृजन भी कर सकते हैं, विध्वंस और विसर्जन भी कर सकते हैं। मैं आपको अहसास दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां कि दो चीज़ें, एक प्रेस एंड मीडिया(Press and Media) और दूसरी एडवरटाइज़िंग एजेन्सी(Advertising Agency) आने वाले समय में इन दोनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका इस देश में होने वाली है। अतिश्योक्ति नहीं होगी यदि मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में कौन हमारे देश में शासन करेगा और आने वाले समय में हमारे देश के सामाजिक मुल्य क्या होंगे, इसका निर्धारण करना प्रेस (Press) और एडवरटाइज़िंग एजेन्सीज़(Advertising Agencies) के हाथ में होगा। प्रेस की बहुत सशक्त भूमिका है, प्रिंट मीडिया(Print Media) की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया(Electronic Media) की, क्योंकि ये कम्युनिकेशन(Communication), विचार विनिमय के सबसे प्रभावी माध्यम हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल भगवत स्मरण तो हम बाद में कहते हैं पहले अखबार पढते हैं। हमारे दिनभर का मानस आप जो अखबार में लिखते हैं उसे पढ़ने से बनता है। यदि प्रातःकाल एक स्वस्थ समाचार पत्र हाथ में आता है तो समझिए कि हमारा दिन सुधर गया और यदि प्रातःकाल हाथ में ऐसा अखबार आता है जिसमें स्वस्थ चिंतन की दिशा नहीं होती, केवल किसी विकृति का विवरण होता है, तो हमारा दिन खराब हो जाता है। इस समाज की संस्कृति ही नहीं, इस देश की गति-प्रगति किस दिशा में और क्या होने वाली है, यह आप निर्धारित करेंगे। इसलिए आपकी क़लम से जो बात लिखी जाती है और अख़बार में स्थान पाती है उसके लिए आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है।

बच्चों को संस्कारित करना माता—पिता का काम है और व्यतिव को विकसित करना शिक्षकों का काम है। किंतु आपकी ज़िम्मेदारी माता—पिता और शिक्षकों से भी बढ़कर है। आप न केवल बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे, बल्कि आने वाले समय में इस देश के माता—पिता कैसे होंगे और इस देश के शिक्षक कैसे होंगे, इसकी रचना भी आप करेंगे। इसलिए प्रेस की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है।

तुम लिए फिरते हो आंखों में चमन, ऐ बागवां। जिस तरफ़ उड़ी निगाह-ए-शौक गुलशन हो गया।।

इस देश को आप गुलशन बनाना चाहते हैं या कुछ और, ये आपके हाथ में है। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कीजिए। निर्णय लीजिए।

.....